न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए. 09/2021
पंजीयन दिनांक 18.03.2021

(1). चांदमल पिता मांगीलाल लढ्ढा जाति माहेश्वरी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). लालीबाई उर्फ ललिता पत्नी केलाशचन्द्र शारदा जाति माहेश्वरी निवासी बानसेन हाल मुकाम महेश नगर निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(3). बगदीबाई पत्नी शांतिलाल लढ्ढा जाति माहेश्वरी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(4). नारायणलाल पिता शांतिलाल जाति माहेश्वरी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(5). भगवतीलाल पिता शांतिलाल जाति माहेश्वरी निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(6). नीतु पिता शांतिलाल पत्नी देवकरण सोमानी जाति सोमानी निवासी आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(7). मांगीबाई पिता कस्तुरचंद लढ्ढा पत्नी श्रीनिवास शारदा निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(8). केसरबाई पिता कस्तुरचंद लढ्ढा पत्नी नंदकिशोर उर्फ नंदलाल बाहेती जाति माहेश्वरी निवासी छिपवाड़ा मेहसाणा(गुजरात)।

बनाम -अपीलांट्गण

(1). महेश कुमार पिता बद्रीलाल लढ्ढा जाति माहेश्वरी निवासी मयूरनगर गोला खिड़की हर्ष निकेतन हैदराबाद(तेलंगाना)।
(2). श्रीनिवास पिता बद्रीलाल लढ्ढा जाति माहेश्वरी निवासी सदरबाजार बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). विष्णुकुमार पिता बद्रीलाल लढ्ढा जाति माहेश्वरी निवासी कल्याणपुरा मार्ग नम्बर 2 आनन्द भवन के सामने बाढ़मेर जिला बाढ़मेर।
(4). सागर पिता बद्रीलाल लढ्ढा जाति माहेश्वरी निवासी सागर आर्ट मारवाड़ी बालिसणा जिला पाटवा उत्तर गुजरात।
(5). घनश्याम पिता बद्रीलाल लढ्ढा जाति माहेश्वरी निवासी बानसेन हाल मुकाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हैदराबाद(तेलंगाना) 19/927/15 ए मुरली नगर, गोला खिड़की हर्ष निकेतन हैदराबाद(तेलंगाना)।

(6). साधना पुत्री बदरीलाल जाति लढढ़ा पत्नी दिनेश जाति महाजन माहेश्वरी निवासी बानसेन हाल मुकाम आदर्श कॉलोनी निम्बाहेड़ा, विवेकानन्द वाटिका के पास निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 01/2020 प्रार्थना-पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.02.2021

उपस्थित वक्त बहस-(1).सावन श्रीमाली-अधिवक्ता अपीलांटगण
(2).ऋषभकुमार सेठिया-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 12.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा बानसेन की आराजी संख्या 1506 रकबा 0.03 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात का मूल आधार फर्जी व अग्रहाय दस्तावेज इकरार दिनांक 22.01.1968 का हवाला देते हुए गुमानीराम के वारिसान नवलराम, नवलराम के वारिस दौलतराम और दौलतराम का पुत्र रामचन्द्र एंव रामचंन्द्र का गोदपुत्र मांगीलाल पिता मूलचन्द का होना बताकर प्रस्तुत किया। मांगीलाल के पिता मूलचन्द और रामचन्द्र के पिता दौलतराम दोनो सगे भाई रहे है। मांगीलाल एंव रामचन्द्र भी काका के लड़के होकर चचेरे भाई है। मांगीलाल कभी भी रामचन्द्र के गोद नहीं गया। और एक भाई दूसरे भाई के गोद जा भी नहीं सकता है। वादपत्र के तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थीगण विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे लिखित जवाब, लिखित बहस व दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिखित जवाब, बहस व दस्तावेजो का सही तरीके से विश्लेषण किये बगैर काल्पनिक आधारों पर वादवृद्धि होने का तथ्य अंकित कर विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखाये जाने का स्थगन आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक15.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण विपक्षीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपीलांटगण विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र मे बंटवाडे की लिखा-पढ़ी प्रस्तुत की। उक्त लिखापढ़ी दिनांक 22.01.1968 की है जिसमे उक्त कृषि आराजीयात का बद्रीलाल को सुपुर्द किया जाना बताया गया, जिसके आधार पर सम्पूर्ण कृषि आराजीयात की घोषणा चाही गई व वादपत्र के निस्तारण तक कब्जे मे दखलंदाजी नहीं करने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र का अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई व प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया। विवादित कृषि आराजीयात अपीलांटगण विपक्षीगण व रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की सहखातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपंजीकृत व प्रोपर स्टाम्प पर लिखा-पढ़ी नही होते हुए भी मांगीलाल पिता रामचन्द नहीं होकर मांगीलाल गोदपुत्र मूलचन्द था। विकय इकरार की मयाद 3 वर्ष की होकर सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार था। व दिनांक 06.01.1964 को रामचन्द्र की मृत्यु होना ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया है। जवाबदावे मे अंकित किया गया है कि गोदनामे को सिद्ध नही किया है। उक्त समस्त तथ्य विचारण न्यायालय मे विचारणीय थे , जिनका निस्तारण मूलवाद मे साक्ष्य लिवायी जाकर ही तय किया जा सकता था । फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांटगण विपक्षीगण विवादित आराजीयात के सहखातेदार होते हुए सह खातेदार के विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकर किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की व लिखित बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतया प्रमाणित करवाया है कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण आराजी संख्या 1506 पर दिनांक 22.01.1968 से काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित आराजीयात पर आवासीय मकान का निर्माण कर विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन ले रखा है। खरीद दिनांक से रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल व उनकी मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिससे उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलांटगण विपक्षीगण का कब्जा नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के पक्ष मे होना मानते हुए मूलवाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त कृषि आराजीयात के मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत एस.ए.आर. 2010 एस.सी. पेज-138 व पेज-139, आर.एल.डब्ल्यु 1993(1) राजस्थान पेज-525, ए.आई.आर. 2020 एस.सी. पेज-1140, आर.आर.टी. 2020(1) राजस्थान पेज-159, आर.आर.टी. 2019(2) एस.सी. पेज-1353 , डी.एन.जे. 2020(राजस्व) पेज-49 , डी.एन.जे. 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 907, डी.एन.जे. 2020(राजस्व) पेज-11, आर.आर.टी. 2021 एस.सी. पार्ट-1 पेज-1 , आर.आर.टी. 2021(1) एस.सी. पेज-545, आर.आर.टी. 2021(1) पेज-260 व पेज-476 पर अंकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि उक्त समस्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर जो कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये है, उक्त न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधि सम्मत होने से व उक्त समस्त न्यायिक नजीरों के आधार पर अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपीलांटगण विपक्षीगण के विरूद्ध लिखा-पढ़ी दिनांक 22.01.1968 के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसमे उभय पक्षकारान को सुना जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त कृषि आराजीयात के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलांटगण विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत लिखा-पढ़ी को अपंजीकृत व प्रोपर स्टाम्प पर नहीं होना बताते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को अवैधानिक होना बताया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत लिखापढ़ी दिनांक 22.01.1968 की है। व लिखा-पढ़ी दिनांक से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल व उनकी मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है जिसके संबंध मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपने नाम का विद्युत बिल भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया है । वादों की बाहुल्यता को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रोकने को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान को सुना जाकर विवादग्रस्त कृषि आराजीयात के संबंध मे राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति को कायम रखाये जाने का निर्णय व आदेश मूलवाद के निस्तारण तक पारित किया है। पक्षकारान के हक व हकूको का निर्धारण प्रार्थना-पत्र से नहीं होकर मूलवाद मे उभय पक्षकारान की साक्ष्य के आधार पर तय होना है। जिसको अभी समय लगना संभव है। ऐसी स्थिति मे मूलवाद का निस्तारण हो तब तक विवादग्रस्त आराजीयात की यथास्थिति को कायम रखा जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधि सम्मत होना प्रतीत होता है। अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण विपक्षीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 01/2020 निर्णय व आदेश दिनांक 15.02.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उभय पक्षकारान को सुनकर मूलवाद का यथाशिघ्र निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)